

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

विषय:- बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-01/2019 के अन्तर्गत(कनीय अभियन्ता (असैनिक/याँत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक-04.02.2025 को नियुक्ति-पत्र वितरण के संबंध में ।

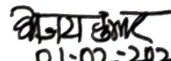
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0-01/2019 के तहत आयोग द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को आवंटित एवं अनुशंसित कनीय अभियन्ता (असैनिक/याँत्रिक) अभ्यर्थियों, जिनका दिनांक-16.01.2025, 17.01.2025, 18.01.2025 एवं 27.01.2025 को 'जल भवन', राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना-14 में शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया है, को दिनांक-04.02.2025 के अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक 'जल भवन', राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना-14 में नियुक्ति-पत्र वितरण किया जायेगा ।

एतद् द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों (संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित अभ्यर्थियों को छोड़कर) को सूचित किया जाता है कि कनीय अभियन्ता (असैनिक/याँत्रिक) के पद पर नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित सूचना अंकित कर फोटो सहित एवं पहचान पत्र के साथ निर्धारित स्थल पर ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ।

2. वैसे अभ्यर्थी जिनके संबंध में आयोग द्वारा अनुशंसा इस शर्त के साथ की गयी है कि उक्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की जाँच निर्गत करने वाले संस्थानों से कराने के पश्चात् ही नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी/अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के क्रम में जिन अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्वघोषणा पत्र एवं अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना अथवा न्यायालय में कोई वाद दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है, समर्पित नहीं करने के कारण एवं अन्य वांछित कागजात सत्यापन के क्रम में उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनका नियुक्ति-पत्र उक्त निर्धारित तिथि को वितरण नहीं किया जायेगा । उन अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग के निर्णयोपरान्त सूचना बाद में प्रकाशित की जायेगी ।

नोट:- नियुक्ति-पत्र प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

- अनु0-
1. परिशिष्ट-'1' एवं '2' ।
 2. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने निमित्त पहचान पत्र का विहित प्रपत्र ।


01-02-2025
सरकार के उप सचिव

